(39)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3018–पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–5–2013 पारित द्वारा आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद प्रकरण कमांक 41/अपील/2011–12.

श्री नरसिंह मंदिर बाबई सार्वजनिक न्यास कमांक 272/55
द्वारा सरवराकार बैनीदास गुरू बालकदास
निवासी मंगलवारा बाबई
तहसील बाबई जिला होशंगाबाद .....आवेदक

विरूद्ध

1– मध्यप्रदेश राज्य
2– सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री ए0पी0 बैरागी, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/2/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम, 1960 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 42 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी, होशंगाबाद द्वारा सीलिंग अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण कमांक 68/अ–90 ब(3)/1975–76 दर्ज किया जाकर दिनांक 24–10–1978 को आदेश पारित करते हुए 86.51 एकड़ भूमि अतिशेष घोषित की गई । अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी के आदेश के विरूद्ध प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय तक प्रचलित हुआ,

और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन कमांक 4344/89 में दिनांक 4–1–2005 को आदेश पारित करते हुए इस न्यायालय सहित समस्त न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये एवं आवेदक को 90 दिवस में आय–व्यय प्रस्तुत करने तथा अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी को विधि के प्रावधानों के अनुरूप प्रकरण का निराकरण किये जाने हेतु आदेशित किया गया । माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आवेदक द्वारा वर्ष 1954 से 2006–2007 तक की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसके आधार पर अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 11–9–2006 को आदेश पारित किया जाकर प्रकरण समाप्त किया गया, परन्तु आवेदक न्यास की भूमियों के संबंध में कोई निर्णय नहीं दिया गया । अतः आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमियों पर उसका नाम दर्ज करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक 3–12–2010 को आदेश पारित कर आवेदन पत्र निरस्त किया गया, जिसके विरूद्ध प्रथम अपील अपर कलेक्टर, होशंगाबाद के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 22–7–2011 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर आयुक्त द्वारा दिनांक 30–5–2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी तथा अपर कलेक्टर के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा सीलिंग अधिनियम की धारा 3 (सी) को समझने में भूल की गई है, क्योंकि उक्त धारा इस प्रकरण में लागू नहीं होती है ।

(2) आवेदक द्वारा वर्ष 1954 लगायत 2005 तक की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, जिसके तहत आवेदक को सीलिंग अधिनियम से छूट की पात्रता है, इस स्थिति पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है ।

(3) आवेदक न्यास द्वारा उसके मालिकाना हक पर अन्य व्यक्तियों का नाम दर्ज होने के कारण उनका नाम हटाकर न्यास का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया

गया था, जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवैधानिकता की गई है, और इस स्थिति पर बिना विचार किये अपर कलेक्टर एवं आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(4) न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा आवेदक न्यास की भूमि को शासन में अतिशेष घोषित करने की मनःस्थिति पूर्व से ही बना ली थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी का आदेश पूर्वाग्रह से ग्रसित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) आवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में चार्टेड एकाउंटेड की आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, अतः आयुक्त को प्रकरण प्रत्यावर्तित नहीं कर यह विचार करना था कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में आडिट रिपोर्ट प्रस्तुत होने से आवेदक की भूमि अतिशेष घोषित नहीं की जा सकती है ।

4/ अनावेदकगण पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्कों में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अभी उनके द्वारा प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है । आवेदक द्वारा इस न्यायालय से जो उपचार चाही गई है, इस संबंध में आंशिक उपचार आयुक्त द्वारा आवेदक को पहले ही दिया जा चुका है । इसके अतिरिक्त जैसा कि ऊपर विश्लेषण किया गया है है कि अनुविभागीय अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभी प्रकरण का अंतिम रूप से निराकरण किया जाना है, जहां आवेदक को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है, और वह अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं । दर्शित परिस्थितियों में आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–5–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर